रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272300
CG-DL-E-07052026-272300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948
No. 297]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 321(अ).— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय, उप सचिव (हिंदी), द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति), अताशे (हिंदी एवं संस्कृति) और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक पद भर्ती नियम, 2020 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्द्वारा विदेश मंत्रालय के संयुक्त निदेशक (राजभाषा), द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति) और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक पदों की भर्ती के तरीकों को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश मंत्रालय संयुक्त निदेशक (राजभाषा), द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति), अताशे (हिंदी एवं संस्कृति) और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक पद भर्ती नियम 2026 है।

2. ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) वे विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु, सीमा, अन्य अर्हताएं आदि -** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हता - कोई व्यक्ति **-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के मामले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्तिः जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति :** इन नियमों में उल्लिखित कोई बात, आरक्षण, आयु सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सं ंबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछडा वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	1*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिर्वतन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रूपये 78800-209200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन दवारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लघु अवधि की संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लघु अवधि की संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविधालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी-, (क) (i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या (ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) में लेवल-11 के पदों पर या समकक्ष पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता, अर्थात्:- अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री, के साथ अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, के साथ हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हो; अथवा	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो या परीक्षा का माध्यम हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो; (ii) केंद्र या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी में शब्दावली (शब्दावली संबंधी कार्य) प्रयोग करने/लागू करने और अंग्रेजी से हिंदी या इसके विलोमत: विशेषत: तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य में अनुवाद कार्य का दस वर्ष का अनुभव। अथवा केंद्र या राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव। वांछनीय: मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा का अध्ययन किया हो। टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पूर्व केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा, इस पद के लिए विचारार्थ आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति)।	3* (2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता हो सकती है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु.67700–208700)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष (पुनर्नियुक्ति पर पूर्व सैनिक के लिए)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)। सशस्त्र बल कर्मियों के लिए: प्रतिनियुक्ति के लिए/ पुनर्नियुक्ति (पूर्व सैनिक के लिए)

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपए) या समकक्ष पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, अर्थात्:- आवश्यक: (i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन प्रभारी) - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (हिंदी प्रभाग के प्रभारी) – सदस्य 3. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन में)- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री, हिंदी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री, अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी आवश्यक या वैकल्पिक विषय हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा डिग्री स्तर पर आवश्यक या वैकल्पिक विषय हो। (ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अन्तर्गत तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य में हिन्दी में शब्दावली (शब्दावली संबंधी कार्य) के प्रयोग या अनुप्रयोग तथा अंग्रेजी से हिन्दी या विलोमतः अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या		

विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में शोध का पांच वर्ष का अनुभव। वांछित: (i) प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति या दर्शन में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के तौर पर पढ़ा गया हो। (i) भारत की सांस्कृतिक विरासत या देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अलग-अलग रूपों से संबंधित प्रकाशित कार्य। सशस्त्र बल कर्मियों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनःनियुक्ति (पूर्व सैनिकों के लिए): सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास प्रतिनियुक्त होने के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता और अनुभव है, उन पर भी विचार किया जाएगा और ऐसे अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की अवधि उस तिथि तक दी जाएंगी, जिस दिन से उन्हें सशस्त्र बल से मुक्त होना है, तत्पश्चात्, उन्हें पुनर्नियुक्ति पर जारी रखा जा सकता है। टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पूर्व केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा, इस पद के लिए विचारार्थ आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अताशे (हिंदी एवं संस्कृति)	3* (2026) *कार्य की मात्रा के आधार पर बदलाव हो सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600 – 151100).	लागू नहीं.	लागू नहीं.

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं.	लागू नहीं.	दो वर्ष (पूर्व सैनिक के लिए अधिवर्षिता की आयु से पहले पुनर्नियुक्ति पर)।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियुक्ति (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनिधिमंडल (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों पर धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु. 44900 - 142400) या समकक्ष स्तर-7 के पदों पर दो साल की नियमित सेवा के साथ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले, नामत: अनिवार्य :	विभागीय पुष्टि समिति (विचार पुष्टिकरण के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन प्रभारी) - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (हिंदी प्रभाग के प्रभारी) - सदस्य 3. उप सचिव / निदेशक (प्रशासन में) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

i) डिग्री स्तर पर अंग्रेजी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री; या अंग्रेजी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी को डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम बनाया गया है; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी को डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम बनाया गया है; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से एक और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो; और (ii) हिंदी में शब्दावली संबंधी कार्य या अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंगेज़ी में अनुवाद कार्य या इसके विपरीत में चार साल का अनुभव, अधिमानतः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का जिसमें भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं; या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी में शिक्षण, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता में चार साल का अनुभव। वांछनीय:		

(i) भारतीय इतिहास और संस्कृति या दर्शन में स्नातकोत्तर डिग्री (ii) स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में संस्कृत का अध्ययन किया। (iii) स्नातक स्तर पर हिंदी के अलावा एक या अधिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया होना चाहिए। सशस्त्र बल कर्मियों के लिए: प्रतिनिधिमंडल / पुनर्नियुक्ति (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) सेवानिवृत्त होने वाले या एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले सशस्त्र बल कार्मिक और प्रतिनियुक्ति करने वालों के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की शर्तें उस तारीख तक दी जाएंगी जिस दिन उन्हें सशस्त्र बलों से मुक्त होना है, उसके बाद, उन्हें पुनर्नियुक्ति पर जारी रखा जा सकता है। सशस्त्र बल के वे कर्मी जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित योग्यता और प्रतिनियुक्ति पर जाने वालों के लिए निर्धारित अनुभव है, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बल से मुक्त होना है, उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।। टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पूर्व केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा, इस पद के लिए विचारार्थ आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वरिष्ठ हिंदी अनुवादक।	1*(2026) *कार्यभार के आधार पर बदलाव हो सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'बी', अराजपत्रित, मंत्रालयी।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु.44900 – 142400)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं.	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदों पर कार्यरत हों; या (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रूपये) या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखने वाले, अर्थात्:- आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर, जिसमें स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रही हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, जिसमें हिंदी माध्यम हो और स्नातक स्तर पर अंग्रेज़ी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप	लागू नहीं.	केंद्रीय लोक सेवा आयोग से सलाह लेना ज़रूरी नहीं है।

में, अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में शामिल हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, जिसमें अंग्रेज़ी माध्यम हो और स्नातक स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में, अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में शामिल हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर; जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हों, या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो। और (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद एवं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स *अथवा केन्द्र* सरकार, राज्य सरकार या भारत सरकार के उपक्रमों में हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पूर्व केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा, इस पद के लिए विचारार्थ आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

[फा. सं. क्यू/सीएडी/578/01/2021]

सिद्धार्थ नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2026

G.S.R. 321(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs, Deputy Secretary (Hindi), Second Secretary (Hindi and Culture), Attache (Hindi and Culture) and Senior Hindi Translator Posts Recruitment Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Joint Director (Official Language), Second Secretary (Hindi and Culture), Attache (Hindi and Culture) and Senior Hindi Translator in the Ministry of External Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.- (1)** These rules may be called the Ministry of External Affairs, Joint Director (Official Language), Second Secretary (Hindi and Culture), Attache (Hindi and Culture) and Senior Hindi Translator Posts Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, and level in the pay matrix**.- The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications**.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification**.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the said person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and Other Backward Classes, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

Schedule

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Joint Director (Official Language)	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800 – 209200).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation including short-term contract: Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or recognized research institution,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department: or (ii) with five years regular service in posts in the level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :- Essential: (i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's Degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject, or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; (ii) ten years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or *vice versa*, preferably of technical or scientific literature under Central or State Government or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions. OR ten years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Government or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions. Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10th class level from a recognised Board. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Second Secretary (Hindi and Culture).	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Minis-terial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700 – 208700).	Not-applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years (for ex-serviceman on re-employment).	By deputation(including short-term contract). For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment (for ex-serviceman).

(11)	(12)	(13)
Deputation(including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institution: (a) (i)holding analogous posts on regular basis; or (ii)with five years regular service in posts in the level 10 in the pay matrix (Rs. 56100–177500) or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :- Essential: (i)Master's degree from a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a	Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary (in charge of Administration) - Chairman 2. Joint Secretary (in charge of Hindi Division) – Member 3. Deputy Secretary or Director (in Administration)- Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

compulsory or elective subject at the degree level. (ii) five years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or *vice versa*, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institutions; or five years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institutions. Desirable: (i) Post graduate degree in Ancient Indian History and Culture or Philosophy; (ii) studied Sanskrit as one of the subjects at graduation level; (iii) published work relating to India's cultural heritage or different forms of literary and cultural expressions in the country. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment (for ex-servicemen): The Armed Forces Personnel who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered and such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter, they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on closing date of receipt of applications considered for the post.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Attache (Hindi and Culture).	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600 – 151100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years (For ex-serviceman on re-employment before the age of superannuation).	By deputation(including short-term contract). For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment (for ex-servicemen).

(11)	(12)	(13)
Deputation(including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in posts in the level-7 in the pay matrix (Rs. 44900 – 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :- Essential: (i) Master's degree from a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; or Master's degree from a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as compulsory or elective subject at the degree level; and (ii) four years experience of terminological work in Hindi or translation work from English to Hindi or *vice versa*, preferably of technical or scientific literature in Central Government or State Government Offices including Government of India undertakings; or	Departmental Confirmation Committee(for consideration confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary (in charge of Administration) - Chairman 2. Joint Secretary (in charge of Hindi Division) – Member 3. Deputy Secretary/ Director (in Administration)- Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

four years experience in teaching, research, writing or journalism in Hindi from a recognised institution. Desirable: (i) Post-graduate degree in Indian History and Culture or Philosophy (ii) studied Sanskrit as one of the subjects at graduation level. (iii) should have studied one or more Indian Languages other than Hindi at graduation level. For Armed Forces Personnel : Deputation/Re-employment (for ex-servicemen). The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered. Such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter, they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on closing date of receipt of applications considered for the post.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Senior Hindi Translator.	1*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 7 in the pay matrix (Rs.44900 – 142400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in posts in the level 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

Essential: (i) Master's degree from a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; or Master's degree from a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as compulsory or elective subject at the degree level. and (ii) Diploma or certificate course in translation from Hindi to English from a recognised institution and *vice versa* or three years experience in translation work from Hindi to English and *vice versa* in Central Government or State Government or Government of India undertakings. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years of age as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. Q/CAD/578/01/2021]

SIDDHARTHA NATH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.07 01:21:12 +05'30'